कार्यालय जिला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्धनगर

प्रबंधक महर्षि विद्या मन्दिर
पब्लिक स्कूल से-36
नोएडा गौतम बुद्ध नगर

पत्रांक मान्यता /2187-88 /2009-2010

दिनांकः 03.07.09

विषयः **प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता की स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर एवं जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 02.7.09 में लिए गये निणर्यानुसार विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग संख्या 1873/16.06.98–18/एतद (7) 89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुपालन में स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है।

1. विभाग से अनुमति प्राप्त किया बिना कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं कदापि संचालित न की जाए।
2. विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अस्वीकृत पुस्तके प्रयोग न की जाए।
3. निर्धारित शुल्क से ज्यादा कदापि न लिया जाए।
4. मान्यता विषय पत्रों में दी गई सूचना गलत पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों के अनुपालन न होने पर स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
5. कार्यरत अध्यापक/कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते निश्चित रुप से बैंक के माध्यम से किए जाए। अह अध्यापकों को उनके पद पर स्थाई किया जाए तथा उन्हें प्राविधायी की सुविधा दी जाए।
6. ग्राउण्ड डेस्को की व्यवस्था की जाए।
7. विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

भवदीय

02.07.09

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

तददिनांक

प्रत्रांक मान्यता/2187-88 /2009-2010

03.07.09

1. प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र बिसरख को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक [बेसिक]
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

महर्षि विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल,
सैक्टर 36/37 गौतमबुध्दनगर।

पत्रांक सं. शि.स./ 1198-1201 /2000-2001 दिनांक 19-6-2000

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक - 30-5-2000 - मे लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस[7]89 शिक्षा [6] अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 मे किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धो के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल [कक्षा 6 से 8 तक] स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तों पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नही करा ली जाती।

2-प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियो और शिक्षको को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3-विद्यालय मे छात्रो के चरित्रनिमार्ण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रुप से करवाया जाये।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयो की समस्त निधियो का लेखा उचित रुप से रखा जायेगा। भवनशुल्क/कैपिटेशनफीस के रुप मे कोई धनराशि विधार्थियो से लिया जाना वर्जित होगा।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक×शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को प्राप्त हो रहेहोगे।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

- - -2

8- विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाई जायेगी । विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

9-विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

10-विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11- विभाग मे कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

12-विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13- विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15-विभागीय आदेशों /नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16-जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20×25 की माप के कक्षों का निर्माण कराये ।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक §बेसिक§
प्रथम मण्डल, मेरठ ।
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ०सं० शि०स०/ /१९९९-२००० 2000-2001 दिनांक 19-6-2000

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर शिक्षा निदेशक § बेसिक § उ० प्र० इलाहाबाद ।
2-, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - - गौतमबुद्धनगर
4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - - - गौतमबुद्धनगर
5- शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र - - - - नोएडा
6-क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी - नोएडा -
7-समाज कल्याण अधिकारी - - - - - -

सहायक शिक्षा निदेशक§बेसिक§
प्रथम मण्डल, मेरठ ।